(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 141/2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021/329**

सावित्री देवी पत्नी अभय सिंह उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं

.........**वादीया**

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र शिवलाल उम्र 36 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
2. कमलेश पुत्री महावीर उम्र 55 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
3. राजवीर पुत्र महावीर उम्र 43 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
4. लालचन्द पुत्र गणपत उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
5. शिलो देवी पत्नी कुरडाराम उम्र 70 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
6. रेखा देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद उम्र 36 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
7. नीतु यादव पत्नी देशराज उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
8. अंशु पुत्री देशराज उम्र 10 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. जरिये संरक्षक माता नीतु यादव पत्नी देशराज उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.
9. मुस्कान पुत्री देशराज उम्र 12 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. जरिये संरक्षक माता नीतु यादव पत्नी देशराज उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.
10. अनुराधा पुत्री देशराज उम्र 07 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. जरिये संरक्षक माता नीतु यादव पत्नी देशराज उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.
11. हितेश पुत्र देशराज उम्र 05 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. जरिये संरक्षक माता नीतु यादव पत्नी देशराज उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.
12. तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
13. उपपंजियक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान

.......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णय:–

दिनांक:– 05–09–2024

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम मानपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 7 के ख0 न0 26 रकबा 4.34 है0 ख0 न0 85/26 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि में वादीया का 18/109 हिस्सा दर्ज राजस्व व खातेदार कास्तकार है शेष हिस्से पर प्रति0 स0 1 लगा0 11 खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि वादीया की खरीद सुद्दा भूमि है वादीया अपने खरीद के दिन से अपने हिस्से पर कब्जे काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादीया अपनी भूमि क सुधार करना चाहती है जिसके लिए वादीया ने प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया।
3. यह कि वादीया ने भूमि सुधार हेतु प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने इंकार कर दिया जिस बाबत वादीया को यह दावा खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). वाके ग्राम मानपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 7 के ख0 न0 26 रकबा 4.34 है0 ख0 न0 85/26 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.36 है0 में वादीया का हिस्सा 18/109 हिस्से की भूमि का कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1,2,3,7,8,9,10,11 की ओर से श्री अशोक यादव ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक वादीया का दावा पक्षकारान के हिस्सेअनुसार कब्जेनुसार दावा डिक्री किया जाने से हमे कोई एतराज व आपत्ति नही है, बल्कि सहमत है। प्रतिवादी स0 1 का कब्जे व हिस्सेनुसार अलहेदा खाता व लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादी स0 2, 7 लगा0 11 को भी कब्जा व हिस्सानुसार अलहेदा खाता व लगान कायम किया जाने की कृपा करे।

प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर अतिरिक्त उत्तर चाहा कि विवादित वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम मानपुरा तहसील बुहाना में स्थित खाता संख्या 7 के ख0 न0 26 रकबा 4.34 है0 ख0 न0 85/26 रकबा 0.02 है0 कुल किता 25

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट
CMS नम्बर ....

कुल रकबा 4.36 है0 के संबंध में माननीय न्यायालय हाजा में दीगर प्रकरण सन्तरा देवी आदि बनाम कुरडाराम आदि दावा घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रकरण महादाराम बनाम कुरडाराम आदि दावा स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन भी माननीय न्यायालय हाजा में लम्बित है जिसको भी उक्त प्रकरण के साथ सयोंजित किया जाना न्यायहित में जरूरी है। अतः प्रति0 स0 4, 5 की और से जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि वादीया का वाद पत्र खारिज फरमाया जाने की कृपा करे।

प्रतिवादी सं0 5, 6 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम मानपुरा स्थित हाल खाता स0 7 के ख0 न0 26 रकबा 4.34 है0 ख0 न0 85/26 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.36 है0 में से प्रतिदावाकर्ता/प्रति0 स0 5 के 37/436 हिस्से व प्रतिदावाकर्ता/ प्रति0 स0 6 के 1/20 हिस्से का रास्ते का प्रावधान करते हुए खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 की और से श्री विजयपाल यादव एड. उपस्थित आये। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 217 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1696 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 5, 6 की ओर से आपति पेश की गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा आपति का जवाब प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया तहसीलदार बुहाना इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.04.2023 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 6 की आपति विभाजन में अंकित ख0 न0 26/5 तक हद तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः तहसीलदार बुहाना विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया गया ख0 न0 26/5 का पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 488 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2866 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने ख0 न0 26/5 पर आपति पेश की गई। आपति का जवाब पेश हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 5, 6 की ओर से पुनः विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश की गई व उसका भी जवाब आ गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे अन्तिम डिकी हेतु निवेदन किया जबकि प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने आपति पर बहस की वकील वादी ने आपति पर ऐतराज पेश किया की पूर्व में आपति निर्णित कर दी गई थी उसी अनुसार पुनः 26/5 के कुर्रे पुनः पेश हुए है अतः अन्तिम डिकी किया जावे। उभयपक्ष की बहस के आधार पर तहसीलदार से प्राप्त कुर्रे अनुसार अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

—::आदेश::—

''न्यायालय वाद वादीया एवं प्रतिवादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मानपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 26 रकबा 4.34 है0, खसरा नम्बर 85/26 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 04.04.2023 को दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 488 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2866 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक ------------ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 141 / 2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 329**

सावित्री देवी **बनाम** जितेन्द्र कुमार आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी सं. 4,5,6 की ओर से **श्री विजयपाल एडवोकेट** की उपस्थिती व प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 7 लगायत 11 की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीया एवं प्रतिवादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मानपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 26 रकबा 4.34 है0, खसरा नम्बर 85 / 26 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 04.04.2023 को दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 488 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2866 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख --------------- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)